



राजस्थान-सरकार

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 124 / 2013

दायरा तिथि : 21.10.2013

निर्णय तिथि : 21.12.2018

वादी:-

झालाराम पुत्र श्री सगताजी जाति- रेबारी  
निवासी- सादडी तहसील-देसूरी जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- श्री कानाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति-रेबारी निवासी-परशुरामजी की बगेची का झूपा, सादडी आम मुखियार श्री लकाराम पुत्र श्री हंसारामजी, वेनाराम पुत्र हंसारामजी, गेरकी पुत्री हंसारामजी, नेनु पुत्री हंसारामजी, पानी पुत्री लच्छारामजी, सुकी पुत्री श्री भूरारामजी, सदनो पत्नी भूरारामजी तमाम जातिगण-रेबारी निवासीगण-सादडी तहसील-देसूरी जिला-पाली(राज.)
- राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी

: निर्णय :

दिनांक : 21.12.2018

दावा बाबत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी व प्रतिवादी पक्ष उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक 1 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2103 से 2109 कुल रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बा.दो. कुल लगान 3.35 रुपये के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2016 को मौका स्थिति अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा वादी व प्रतिवादी में मध्य विभाजन कर निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की:-

| नाम खातेदार   | खसरा नम्बर | रकबा          | किस्म    | लगान        |
|---|------------|---------------|----------|-------------|
| लकाराम, वेनाराम पि. हंसाराम गेरकी, नेनु पुत्रीया हंसाराम पोनी पुत्री लच्छाराम अन्सी पत्नी लच्छाराम सुकी पुत्री भूराराम सदनो पत्नी भूराराम कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2105       | 0.1000        | बा.दो    | 0.52        |
|   | 2106       | 0.0450        | बा.दो    | 0.24        |
|   | 2107       | 0.0650        | बा.दो    | 0.31        |
|   | 2108       | 0.0650        | बा.दो    | 0.31        |
|   | 2109       | 0.0650        | बा.दो    | 0.32        |
| <b>योग</b>  | <b>5</b>   | <b>0.3400</b> | <b>-</b> | <b>1.70</b> |

| नाम खातेदार                                    | खसरा नम्बर | रकबा          | किस्म    | लगान        |
|--|------------|---------------|----------|-------------|
| झालाराम पुत्र सगताजी कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2103       | 0.1700        | बा.दो    |             |
|  | 2104       | 0.1300        | बा.दो    |             |
|  | 2105 / 1   | 0.0100        | बा.दो    |             |
|  | 2106 / 1   | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2107 / 1   | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2108 / 1   | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2109 / 1   | 0.0050        | बा.दो    |             |
| <b>योग</b>                                     | <b>7</b>   | <b>0.3300</b> | <b>-</b> | <b>1.65</b> |

सहायक कलेक्टर  
(एस.टी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार-2


**राजस्व वाद संख्या 124/2013 अनवान झालाराम बनाम कानाराम वगैरा  
अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से उपस्थित वादी व प्रतिवादी पक्ष ने सहमति जताते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाइनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन से जाहिर है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा इस न्यायालय के प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 29.06.2016 के अनुरूप ही मौका स्थिति वादी व प्रतिवादी पक्ष में मध्य विभाजन करते हुये विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत कि है। उपस्थित वादी व प्रतिवादी पक्ष भी तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमत है। अतः बाद अवलोकन उपस्थित वादी व प्रतिवादी पक्ष को सुनने के पश्चात वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक प्रथम स्थित भूमि खसरा नम्बर 2103 से 2109 कुल रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगानी 3.35 रूपये के संबंध में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाइनल डिक्री जारी की जाती है :-


| नाम खातेदार   | खसरा नम्बर | रकबा          | किस्म    | लगान        |
|---|------------|---------------|----------|-------------|
| लकाराम, वेनाराम पि. हंसाराम गेरकी, नेनू पुत्रीया हंसाराम पोनी पुत्री लच्छाराम अन्सी पत्नी लच्छाराम सुकी पुत्री भूराराम सदनो पत्नी भूराराम कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2105       | 0.1000        | बा.दो    | 0.52        |
|   | 2106       | 0.0450        | बा.दो    | 0.24        |
|   | 2107       | 0.0650        | बा.दो    | 0.31        |
|   | 2108       | 0.0650        | बा.दो    | 0.31        |
|   | 2109       | 0.0650        | बा.दो    | 0.32        |
| <b>योग</b>  | <b>5</b>   | <b>0.3400</b> | <b>-</b> | <b>1.70</b> |

| नाम खातेदार                                    | खसरा नम्बर | रकबा          | किस्म    | लगान        |
|--|------------|---------------|----------|-------------|
| झालाराम पुत्र सगताजी कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2103       | 0.1700        | बा.दो    |             |
|  | 2104       | 0.1300        | बा.दो    |             |
|  | 2105/1     | 0.0100        | बा.दो    |             |
|  | 2106/1     | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2107/1     | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2108/1     | 0.0050        | बा.दो    |             |
|  | 2109/1     | 0.0050        | बा.दो    |             |
| <b>योग</b>                                     | <b>7</b>   | <b>0.3300</b> | <b>-</b> | <b>1.65</b> |

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 3.35 रूपये के पांच गुना राशि पर देय मुद्रांक के बतौर वादी पक्ष द्वारा राशि 50 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेश कर दिया गया है। अतः इसी अनुरूप फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद तरमीम हेतु तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का सादडी चक 1 को लिखा जावें मिशाल फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
**(हँसमुख कुमार)**  
**सहायक कलक्टर**  
**(एवं उपखण्ड अधिकारी)**  
**देसूरी**

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
**सहायक कलक्टर**  
**(एवं उपखण्ड अधिकारी)**  
**देसूरी (पाली)**

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

वादी:-

झालाराम पुत्र श्री सगताजी जाति- रेबारी  
निवासी- सादडी तहसील-देसूरी जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. श्री कानाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति-रेबारी निवासी-परशुरामजी की बगेची का झूपा, सादडी आम मुख्तियार श्री लकाराम पुत्र श्री हंसारामजी, वेनाराम पुत्र हंसारामजी, गेरकी पुत्री हंसारामजी, नेनु पुत्री हंसारामजी, पानी पुत्री लच्छारामजी, सुकी पुत्री श्री भूरारामजी, सदनो पत्नी भूरारामजी तमाम जातिगण-रेबारी निवासीगण-सादडी तहसील-देसूरी जिला-पाली(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :- 124/2013

निर्णय दिनांक :- 21.12.2018

वादी की ओर से वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 21.12.2018 को उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक प्रथम स्थित भूमि खसरा नम्बर 2103 से 2109 कुल रकबा 0.67 हैक्टर किस्म बरानी दायम कुल लगानी 3.35 रुपये के संबंध में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाइनल डिक्री जारी की जाती है :-

| नाम खातेदार   | खसरा नम्बर | रकबा   | किस्म | लगान |
|---|------------|--------|-------|------|
| लकाराम, वेनाराम पि. हंसाराम गेरकी, नेनु पुत्रीया हंसाराम पोनी पुत्री लच्छाराम अन्सी पत्नी लच्छाराम सुकी पुत्री भूराराम सदनो पत्नी भूराराम कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2105       | 0.1000 | बा.दो | 0.52 |
|   | 2106       | 0.0450 | बा.दो | 0.24 |
|   | 2107       | 0.0650 | बा.दो | 0.31 |
|   | 2108       | 0.0650 | बा.दो | 0.31 |
|   | 2109       | 0.0650 | बा.दो | 0.32 |
| योग   | 5          | 0.3400 | -     | 1.70 |

| नाम खातेदार                                    | खसरा नम्बर | रकबा   | किस्म | लगान |
|--|------------|--------|-------|------|
| झालाराम पुत्र सगताजी कौम रेबारी सा.देह खातेदार | 2103       | 0.1700 | बा.दो |      |
|  | 2104       | 0.1300 | बा.दो |      |
|  | 2105/1     | 0.0100 | बा.दो |      |
|  | 2106/1     | 0.0050 | बा.दो |      |
|  | 2107/1     | 0.0050 | बा.दो |      |
|  | 2108/1     | 0.0050 | बा.दो |      |
|  | 2109/1     | 0.0050 | बा.दो |      |
| योग  | 7          | 0.3300 | -     | 1.65 |

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 3.35 रुपये के पांच गुना राशि पर देय मुद्रांक के बतौर वादी पक्ष द्वारा राशि 50 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेश कर दिया गया है। अतः इसी अनुरूप फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद तरमीम हेतु तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का सादडी चक 1 को लिखा जावे मिशल फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मोहर अदालत के आज दिनांक 21.12.2018 को जारी किया गया।

(हंसमुख कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
देसूरी